भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 1053
(जिसका उत्तर सोमवार, 10 फरवरी, 2025/21 माघ, 1946 (शक) को दिया गया)

दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत भ्रष्ट घोषित की गई कंपनियाँ

1053. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकरः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में सहकारी क्षेत्र की कितनी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत भ्रष्ट घोषित की गई हैं;
(ख) उस्मानाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बार्शी टेक्सटाइल मिल्स की स्थिति क्या है;
(ग) गत दस वर्षों के दौरान बार्शी टेक्सटाइल मिल्स की आय एवं व्यय का ब्यौरा क्या है तथा वर्ष 2019 में उक्त मिल्स के बंद होने के क्या कारण है;
(घ) क्या सरकार को उक्त मिल को फिर से चालू करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उस पर क्या कार्रवाई की गई है;
(ङ) क्या उक्त कंपनी के कामगारों का भुगतान लंबित है और यदि हाँ, तो उक्त विलंब की अवधि कितनी है; और
(च) सरकार द्वारा श्रमिकों को भुगतान करने के लिए क्या तत्काल कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत किसी कंपनी को "भ्रष्ट" घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त, यह संहिता सहकारी समितियों पर लागू नहीं होती है।

(ख): "बार्शी टेक्सटाइल मिल्स" के नाम से कोई कंपनी आज तक की तारीख दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत स्वीकार नहीं की गई है।

(ग) से (च): उपरोक्त (ख) के मद्देनजर कोई प्रश्न नहीं उठता।

*****